



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 32414 सन् 2025

लादेन

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- मुमताज अली, राजकृति पटेल, शुभम प्रताप सिंह
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 140 सन् 2025, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/5B/8 के अंतर्गत, थाना रामनगर, जनपद वाराणसी में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है उनका कहना है कि पशु के वध का आरोप असत्य है; वास्तव में वर्तमान आवेदक के कब्जे से गो-वंश, गोमांस अथवा कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक पशुओं की खरीद-बिक्री के व्यवसाय में संलिप्त नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने आवेदक के कब्जे से उक्त पशुओं की मिथ्या बरामदगी दर्शाई है। उनका कहना है कि आरोपित घटना का कोई स्वतंत्र अथवा सार्वजनिक साक्षी नहीं है। उनका कहना है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है, अतः आवेदक को और किसी अभिरक्षा-पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि दो सह-अभियुक्त सैयद शबाब हुसैन और सुनील बिन्द को अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2025 एवं 30.07.2025 के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10.07.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है और रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। उनका कहना है कि जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में स्पष्ट किए गए नौ प्रकरणों का आवेदक का आपराधिक इतिहास है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है

5. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ।

6. अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक **लादेन** को उक्त मुकदमा अपराध संख्या में व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।